

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 2356 / 2018

आदेश दिनांक :

12.10.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री धन्नाराम, अधिवक्ता— अपीलार्थी की ओर से।

कमीपूर्ति के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति